7.2 A member shall write only to the Chairman / Secretary on all issues relating to the business of the Council and other related matters and shall refrain from giving information to the Press or any other public media on issues relating to the Council and its decisions.

[No. F. 1-51/88.T-5(TD-I)]

S. D. AWALE, Jt. Educational Advisor (T)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1992

तकनीकी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए नियमावली

सा.का. 610(अ).—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के खंड-22 के उप-खंड (2) की धारा (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात् :—

1.0 लघु शीर्षक तथा प्रारंभ: 1.1 इन नियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों का निरीक्षण) नियमावली, 1992 कहा जाए।

1.2 ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2.0 परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो :—

2.1 'शैक्षिक वर्ष' का अर्थ है संबंधित तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय का शैक्षिक वर्ष, जैसा भी मामला हो।

2.2 "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वर्ष और आगे के कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष।

2.3 इस प्रकार के सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है लेकिन इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, यद्यपि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिए उस अधिनियम में दिया गया है।

3.0 अ.भा.त.शि.परि. निरीक्षण समिति की नियुक्ति: परिषद्, तकनीकी संस्था, अथवा एक विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं अथवा अध्यापन, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों की जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट देने हेतु यथा आवश्यकतानुसार एक अ.भा.त.शि.परि. निरीक्षण समिति नियुक्त करेगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल किए जाएंगे, जिन्हें वे प्रत्येक मामले में तय करेगी तथा जो इन नियमों के नियम 6.0 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4.0 सप्लाई की जाने वाली प्रश्नावली: 4.1 एक तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय का अ.भा. त.शि.परि. निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किए जाने से पूर्व, परिषद, निरीक्षण किए जाने वाले तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय के विभाग से संबंधित प्रासंगिक मामलों पर सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा तकनीकी संस्था के प्रमुख को भेजेगी।

4.2 उपर्युक्त उप-नियम 4.1 में कुछ भी निहित विषयों के बावजूद, परिषद, प्रश्नावली के अंतर्गत शामिल अन्य सूचना एकत्र करेगी तथा तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय जैसा भी मामला हो, सूचना प्रदान करने में अनिवार्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगी।

4.3 परिषद, उप-नियम 4.1 और 4.2 के अंतर्गत मांगी गई सूचना भेजने के लिए उपयुक्त समय देगी।

5.0 निरीक्षण की तारीख की सूचना: इन नियमों के नियम 4.0 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के बाद, परिषद अ.भा.त.शि.परि. निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के लिए तारीख निर्धारित करेगी तथा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा तकनीकी संस्था के प्रमुख को उसके बारे में सूचित करेगी।

6.0 सहयोजित की जाने वाली तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित रूप में निरीक्षण से सहयोजित होगा, अर्थात :

6.1 संबंधित तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय अ.भा.त.शि.परि. निरीक्षण समिति में एक प्रतिनिधि नामजद करेगा, जो संस्था का प्रमुख, विश्वविद्यालय का कुलपति अथवा तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग का कोई भी अन्य अधिकारी अथवा शिक्षक होगा:

6.2 तकनीकी संस्था अथवा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, उतनी अवधि और उस रूप में, निरीक्षण के लिए सहयोजित होगा, जो अ.भा.त.शि.परि. निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

6.3 निरीक्षण करने में, अ.भा.त.शि. परि. निरीक्षण समिति निरीक्षण की जाने वाली संस्था अथवा विभाग के ऐसे अधिकारियों तथा शिक्षकों और अन्य सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है जो समिति द्वारा अनिवार्य समझा जाए।

7.0 परिषद् की रिपोर्ट: यथा-सम्भव शीघ्र निरीक्षण के बाद, समिति परिषद को अपने जांच परिणामों के बारे में सूचित करेगी।

[सं. एफ. 1-51/88-टी. 5(टीडी 1)]

एस. डी. आवले, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1992

RULES FOR INSPECTION OF TECHNICAL INSTITUTIONS AND UNIVERSITIES.

S.O. 610(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 22 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1.0 Short title and commencement.—1.1 These rules may be called the All India Council for Technical Education (Inspection of Technical Institutions and Universities) Rules, 1992.

1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.0 Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

2.1 "academic year" means the academic year of the respective technical institution or the University, as the case may be.

2.2 "financial year" means the year commencing from the 1st April and ending on the 31st March of the following calendar year.

2.3 All such words and expressions used in these rules but not defined herein though defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3.0 Appointment of AICTE Inspection Committee.—The Council may appoint an AICTE Inspection Committee whenever it considers necessary, consisting of such persons as it may decide in each case and subject to the provisions of Rule 6.0 of these Rules, to examine and report on the financial needs of a technical institution or a University or standards of teaching, examination and research.

4.0 Questionnaire to be supplied.—4.1 Before the AICTE Inspection Committee inspects a technical Institution or a University, the Council shall send to the Head of the technical institution or the Vice-Chancellor of the University a questionnaire seeking information on relevant matters relating to the technical institution or department of the University to be inspected.

4.2 Notwithstanding anything contained in sub-rule 4.1 above, the Council may collect any other information covered under the questionnaire and the technical institution or the University, as the case may be, shall be bound to render all necessary help in providing the inormation.

4.3 The Council shall allow a reasonable period for supplying information called for under sub-rules 4.1 and 4.2.

5.0 Communication of the date of inspection.—After receipt of the information under Rule 4.0 of these Rules, the Council shall fix a date for inspection by the AICTE Inspection Committee and communicate the same to the Head of the technical institution or the Vice-Chancellor of University concerned.

6.0 Technical Institution or University to be associated.—The technical institution or the University, as the case may be, shall be associated with inspection in the following manner, namely :—

6.1 The technical institution or the University concerned shall nominate one representative on the AICTE Inspection Committee who shall be the Head of the Institution, the Vice-Chancellor of the University or any other officer or teacher of the technical Institution or the concerned department of the University;

6.2 The representative of the technical institution or the University shall be associated with the inspection for such time and in such manner as may be determined by the AICTE Inspection Committee;

6.3 In carrying out the inspection, the AICTE Inspection Committee may have discussions with such officers and teachers and other members of the departments or institution to be inspected, as may be considered necessary by the Committee.

7.0 Report to the Council.—As soon as possible after inspections, the Committee shall report its findings to the Council.

[No. F. 1-51|88-T-5(TD-[illegible])]

S. D. AWALE, Jt. Educational Advisor([illegible])

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992